

Dy. No. 641/RTI/26-27/SCI

तारीख: मई 30, 2026

सेवा मे : ईमेल : [REDACTED]

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पत्र क्रमांक 15011/106/2026-प्रशासन-आरटीआई (5) दिनांक 14/05/2026 के माध्यम से श्री जीवन पांडे, अनुभाग अधिकारी आरटीआई/सीपीआईओ, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस, 26, मान सिंह रोड, नई दिल्ली – 110011 द्वारा आपके दिनांक 08/05/2026 के आरटीआई आवेदन [JUSTC/R/E/26/01357] को इस रजिस्ट्री में स्थानांतरित करना।

इस सचिवालय में दिनांक 20/05/2026 को प्राप्त उपरोक्त पत्र के संदर्भ में, मैं आपको इस सार्वजनिक प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित जानकारी देने के लिए लिख रहा हूँ:

बिन्दु संख्या 1 से 8 : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के अधिकार क्षेत्र और कर्तव्यों के दायरे से बाहर है कि वे इस माननीय न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के कानून, निर्णयों/आदेशों की व्याख्या करें, या किसी मामले पर स्पष्टीकरण दें, राय दें, टिप्पणी करें या सलाह दें। इसलिए, आपका अनुरोध सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत नहीं आता है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, यदि सलाह दी जाए तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों, यदि कोई हों, से संपर्क कर सकते हैं।

एफए का नाम: सुश्री आरती सिंह, (रजिस्ट्रार), भारत का सर्वोच्च न्यायालय
पता: तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001
समय सीमा: उत्तर प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर।

(एस.के. कामेश नूकला)

प्रतिलिपि : श्री जीवन पांडे, अनुभाग अधिकारी आरटीआई/सीपीआईओ, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस, 26, मान सिंह रोड, नई दिल्ली – 110011 [आपके पत्र एफ. संख्या 15011/106/2026-प्रशासन-आरटीआई (5) दिनांक 14/05/2026 के संदर्भ में]

(एस.के. कामेश नूकला)

अस्वीकरण: आर.टी.आई. जवाब का हिंदी अनुवाद, अनुवाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है। हालांकि सटीकता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव ध्यान रखा गया है, फिर भी, जवाब के हिंदी (अनुवादित) संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। उत्तर के अनुवादित संस्करण में दी गई कोई भी जानकारी किसी भी विवाद या मुकदमेबाजी में उद्धृत नहीं की जाएगी, न ही यह कानूनी व्याख्या/साक्ष्य का विकल्प है। सी.पी.आई.ओ. के जवाब के अनुवादित संस्करण में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णय के किसी भी परिणाम के लिए उपयोगकर्ता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

“Disclaimer: Hindi Translation of the RTI reply has been done through the Translation software. Though all possible care has been taken to ensure accuracy and consistency, however, in the event of any conflict between the Hindi (translated) version and English version of the reply, the latter will prevail. Any information given in translated version of reply shall not be cited in any dispute or litigation, nor is it a substitute for a legal interpretation/evidence. The user will be solely responsible for any consequence of the decision taken on the basis of information provided in translated version of the reply of CPIO”.

S.K. KAMESH NOOKALA
Additional Registrar &
Central Public Information Officer

SUPREME COURT OF INDIA
TILAK MARG
NEW DELHI

Dy. No. 641/RTI/26-27/SCI

Dated: May 30, 2026

✓ To: Email : [REDACTED]

Sub: Transfer of your RTI application dated 08/05/2026 [JUSTC/R/E/26/01357] to this Registry by Sh. Jeewan Pandey, Section Officer RTI/CAPIO, Govt. of India, Ministry of Law & Justice, Department of Justice, Jaisalmer House, 26, Man Singh Road, New Delhi – 110011 vide letter F. No. 15011/106/2026-Admn-RTI (5) dated 14/05/2026 under the Right to Information Act, 2005

With reference to above-mentioned Communication received in this Secretariat on 20/05/2026, I write to inform you, in so far as this Public Authority is concerned, as under :

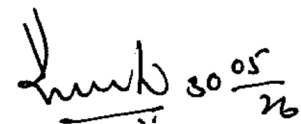
Point Nos. 1 to 8 : It is beyond the jurisdiction and scope of the duties of CPIO, Supreme Court of India, under the Right to Information Act, 2005 to interpret the law, judgments/orders of this Hon'ble Court or of any other Court, or to give explanation, opine, comment or advise on matter. Your request is therefore, not covered under Section 2 (f) of the Right to Information Act, 2005 and cannot be acceded to.

For seeking information relating to other Public Authorities, you may, if so advised, contact the concerned Public Authorities, if any, under the provisions of Right to Information Act, 2005.

Name of FAA: Ms. Aarti Singh, (Registrar), Supreme Court of India

Address: Tilak Marg, New Delhi-110001

Limitation Period: Within 30 days of the receipt of reply.



(S.K. Kamesh Nookala)

Copy to : Sh. Jeewan Pandey, Section Officer RTI/CAPIO, Govt. of India, Ministry of Law & Justice, Department of Justice, Jaisalmer House, 26, Man Singh Road, New Delhi – 110011 [w.r.t. your letter F. No. 15011/106/2026-Admn-RTI (5) dated 14/05/2026]

(S.K. Kamesh Nookala)